States/Places, why the constraints come in regard to setting up Division at Ahmedabad; and

(d) in view of the pressing demand from Gujarat, whether the Railways propose to set up Ahmedabad Division in the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) to (c) The Railway Reforms Committee (RRC), in its report on 'Railway regrouping' (July, 1984), recommended the creation of ten new divisions including one with headquarters at Ahmedabad. Out of these, the Government took up for implementation only five new divisions with headquarters at Ambala, Bhopal, Malda, Nanded and Sambalpur. It has not been feasible to take up for consideration the other recommendations of the RRC regarding creation of new Divisions with headquarters at Ahmedabad, Chittorgarh, Ghaziabad, Singrauli and Usalapur on account of severe financial stringencies.

(d) Prevailing resource constraints preclude the possibility of going in for any new Division for the present.

Railway Divisions in Gujarat

2963. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the factors that are taken into account when considering proposals for opening of a new Railway Division;

(b) whether Ahmedabad qualifies for opening of a new Railway Division as per these requirements; and

(c) whether Government propose to accept in principle, the request of Government of Gujarat for opening a new Railway Division at Ahmedabad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) to (c) New Railway Divisions are set-up taking into consideration the size, workload, growth and pattern of traffic and other operational requirements of the Railways consistent with the needs of economy and efficiency. Based on these considerations, the Railway Reforms Committee recommended the creation of ten new divisions including one with headquarters at Ahmedabad. It has not been feasible to create new Divisions with headquarters at Ahmedabad, Chittorgarh, Ghaziabad, Singrauli and Usalapur on account of severe financial stringencies.

रेलवे स्टेशन पर प्राइवेट कैंटीन का चलाया जाना

2964. **श्री राम रतन राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे स्टेशनों पर प्राइवेट ठेका के आधार पर कैंटीन चलायी जा रही है; और

(ख) इसमें कितने स्टेशन पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कैंटीन चलाने के लिये ठेके दिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाया जाना

2965. **श्रीराम जेठमलानी** :
डा॰ जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा रेलवे के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन कर इसमें सुधार लाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति को कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गयी है और क्या समिति ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार रेलवे में सुधार हेतु आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित करेगी; और

(च) यदि हां, तो सुझाव प्राप्त करने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गयी है और इस विशेष व्यवस्था की आम यात्री को जानकारी देने के लिये क्या व्यवस्था है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। समिति ने 12 जुलाई, 1993 से अपना कार्य शुरू कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेल उपयोगकर्ताओं के सुझावों पर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(च) रेल उपयोगकर्ताओं से सुझाव प्राप्त करने के लिए समिति यथा आवश्यक व्यवस्था करेगी।